पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)हजा०–02 / 2014 :– 306
18-01-17

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल नगर उटारी के विरूद्ध कोनार नहर प्रमण्डल बनासो, हजारीबाग में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प सं०–5253 दिनांक– 28.04.2014 एवं संशोधित संकल्प सं०– 3026 दिनांक– 09.09.2014 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त उससे (जाँच प्रतिवेदन से) असहमत होते हुए मामले में नये सिरे से असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली –1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय संकल्प सं०–5671 दिनांक– 09.11.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह से निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

i) निन्दन

ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

4. उक्त द्वितीय कारण पृच्छा में प्रमाणित आरोपों यथा– आदेश की अवहेलना, दिनांक– 16.06.2009 को कराये गये मापी की प्रविष्टि दिनांक– 19.06.2012 को मापी पुस्त में दर्ज किये जाने एवं कार्यकलाप के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने संबंधी आरोपों पर श्री सिंह द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया एवं विलम्ब से मापीपुस्त में मापी दर्ज किये जाने के प्रमाणित आरोप का खण्डन करने में श्री सिंह असफल रहे हैं।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल नगर उटारी, गढ़वा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है –

i) निन्दन

ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

18/01/2017

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) Haza_02_2014 (Madhurendra K. Singh).docx 1

ज्ञापांक : ....306.......... राँची / दिनांक ..18-01-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / जिला कोषागार, मेदिनीनगर / संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची / उप सचिव, (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल नगर उटारी गढ़वा / श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल नगर उटारी गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 18/01/2017

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव